अनुमंडल कार्यालय,बांका

(स्थापना शाखा)

(अल्पकालीन सूचना)

जिला परियोजना पदाधिकारी–सह– जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–2593/जि0क0, दिनांक–11.09.2025 द्वारा बांका अनुमंडल अन्तर्गत प्रखंड–बौंसी, पंचायत–फागा में विकास मित्र के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी बौंसी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

1	रिक्त स्थानों वालों जगह पर विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करना	दिनांक– 18.09.2025 से 24.09.2025 तक
2	मेधा सूची तैयार एवं प्रकाशन करना	दिनांक– 26.09.2025 तक
3	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण कर नियोजन सूची का प्रकाशन करना	दिनांक– 27.09.2025 से 03.10.2025 तक
4	नियोजन पत्र का वितरण , शपथ ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला	दिनांक– 04.10.2025

रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:–

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	कोटि	जाति बहुलता	रिक्ति	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
1	बौंसी	फागा	सामान्य	चमार	01	सामान्य जाति के बहुलता के कारण महिला/पुरूष दोनो आवेदन कर सकते है।

6. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक का समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन–मैट्रिक , नौवी पास, आठवीं पास, सातवी पास, छठी पास पांचवी पास का नियोजन किया जा सकेगा।
7. महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जायेगा। बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वंय सहायता समुह के साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यो में प्रगतिशील सकिय महिला हों।
8. आवेदक का उम्र–सीमा दिनांक– 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए।
9. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
10. जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वही के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।

चयन की प्रक्रिया:–

6. विकास मित्र के पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु संबंधित पंचायत के बहुलता प्राप्त महादलित जाति के योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित प्रखंड मुख्यालय में आमंत्रित किये जाते है।
7. आवेदन विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरा होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय, से प्राप्त किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय होगा।
9. वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होगी वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम वाले (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।
10. किसी भी त्रुटि/विवाद की स्थिति में विकास मित्र चयन मार्गदर्शिका के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

ह0/–

अनुमंडल पदाधिकारी
बांका।